

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/63/2013

तारीख रजु 23.05.2013

उनवान

1. महफूज अली पुत्र श्री मौ0 शफी, जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली, सरपंच ग्राम पंचायत चिनायटा तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादी 02

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 17.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 930,788,731,751, के दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील अनुपस्थित बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 63/2013 महफूज अली बनाम सरकार अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

